मु.नं. 44/2023 हंसराम बनाम हनुमान

धा० 48 212 R.T. Act

5/7/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने वाद नहीं चलाने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसके साथ संलग्न की गई। वादग्रस्त/खातेदार खेत में बाबत पक्षकार उजरदार से कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर वाद को खारिज किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र 212 R.T. Act चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित घोषित होकर नियमानुसार दाखिल रिकॉर्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)